


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़  
श्री गंवरी देवी कुलधनी बनाम राणा 23/11  
धारा III, 128 वाद/प्रा0प0/अपील प्र0सं0 49/17 (49/17)

23/6/17

बाद जाँच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना बुलवायी है, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 12/7/17 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़

7.7.17

पत्रावली वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना बुलवायी है, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 12/7/17 को पेश हो।

सुवाम हो।



1. यहाँ दी गई गई पत्नी दी गई पत्नी स्व. श्री नयुलाल कुमारी निवासी कडिनगर, रेलवे स्टेशन हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थीया

बनाम

1. रामा पिता चतरा गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. बंरु पिता भग्ना गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. निरुधारी पिता नन्दा गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. गोपी पिता कालु गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. किशन पिता लादु गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. गोपी पिता लादु गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. शंकर पिता जस्ता गुर्जर, निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956  
निर्णय दिनांक 07.07.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ़, प०म० हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 37 रकबा 0-11 बीघा, आराजी न० 38 रकबा 1-11 बीघा, आराजी न० 45 रकबा 0-16 बीघा, आराजी न० 46 रकबा 0-12 बीघा, कुल किता 04 रकबा 03-10 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगड़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.06.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बायजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगड़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हमीरगढ़, प०म० हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 37 रकबा 0-11 बीघा, आराजी न० 38 रकबा 1-11 बीघा, आराजी न० 45 रकबा 0-16 बीघा, आराजी न० 46 रकबा 0-12 बीघा, कुल किता 04 रकबा 03-10 बीघा भूमि की पत्थरगड़ी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- रु० पक्षकार - प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 07.07.2017 को खुला न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

  
 उपस्थित अधिकारी  
 हमीरगढ़